न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 113/21 वर्ष 2021

GCMS No- 2021/304

बउनवानीः— 1. कमल प्रसाद पुत्र प्रभूलाल गुर्जर निवासी थडी तहसील बौंली

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड़ सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम थडी तहसील बौंली की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 840 रकबा 1.37 है0 पर बने हुए रिहायशी मकान का मुआवजा देने बाबत।

उपस्थितः—1. श्री हरिकेश मीना वकील प्रार्थी

2. श्री अभिनव जैन वकील अप्रार्थी 2

—: निर्णय :— दिनांकः— 29.10.2024

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम थडी तहसील बौंली की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 840 रकबा 1.37 है0 पर बने हुए रिहायशी मकान का मुआवजा देने बाबत जारी नोटिस कमांक भूमि अवाप्ति/पीए/भू0अवा./2020/385 दिनांक 27.8.2020 के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन. (दिल्ली—बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0 840 रकबा 1.37 है0 पर बने हुए रिहायशी मकान साईज 40X60 वर्ग फीट वाके ग्राम थडी को भी अधिग्रहण किया गया। उक्त मकान का प्रार्थी एक मात्र स्वामी है तथा उक्त मकान का मुआवजा मात्र 5.00 लाख रूपये दिये गये है जबकि उक्त मकान में चार हॉल, बरामदा,चबूतरा इत्यादि बने हुए है जिनकी कीमत 20.00 लाख रूपये बनती है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गयी किन्तु किसी भी अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर मकान की नाप चौप नही की ओर ना ही मकान को देखा गया है केवल ऑफिस मे बैठकर ही सारी कार्यवाही कर गलत तरीके से 5.00 लाख रूपये निर्धारित किया गया। उपरोक्त आराजीयात पर प्रार्थी के लगभग 140 अमरूद के पेड सम्वत् 2072 (2015) से लगे हुए है। यह तर्क भी दिया कि उक्त मुआवजा बाबत पूर्व से प्रार्थी द्वारा आपत्ति अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दर्ज करा दी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई सुनवायी नही की गयी है। अतः ख0न0 840 पर बने हुए मकान का मुआवजा प्रार्थी को दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:57:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 113/2021 कमल प्रसाद बनाम सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं एनएचएआई)

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे एन. एच.148 एन कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306 (अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को तथा दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर "एवं "राजस्थान पत्रिका "में दिनांक 8.9.2018 को प्रकाशन किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म चाही–3 निजी* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा–3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम थडी की भूमि ख0न0 840 रकबा 0.3404 है0 की राशि 5,72,776/–रू एवं उस पर 2015 में निर्मित पक्के मकान सिंगल स्टोरी 1,74,190/–रू एवं सिंगल स्टोरी 2,80,186/–रू एवं प्लेटफार्म 1,08,420/–रू सहित पक्के मकान की कुल अवार्ड राशि 5,62,796/–रू प्रार्थी कमल प्रसाद को जारी किया गया है इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर लगे हुए मैंगो के 30445/–रू, जामुन के 2451/–रू बबूल के 124254/–रू सहित कुल राशि 1,57,150/–रू का अवार्ड प्रार्थी कमल प्रसाद के नाम जारी किया जा चुका है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब/बहस में निवेदन किया।

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचती हूॅ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम थडी की भूमि ख0न0 840 मे निर्मित मकान का अवार्ड बढवाने बाबत निवेदन किया गया है। निर्मित सिंगल स्टोरी 1,74,190/–रू एवं सिंगल स्टोरी 2,80,186/–रू एवं प्लेटफार्म 1,08,420/–रू सहित पक्के मकान की कुल अवार्ड राशि 5,62,796/–रू प्रार्थी कमल प्रसाद को जारी किया गया है इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर लगे हुए मैंगो के 30445/–रू, जामुन के 2451/–रू बबूल के 124254/–रू सहित कुल राशि 1,57,150/–रू का अवार्ड प्रार्थी कमल प्रसाद के नाम जारी किया जा चुका है। प्रार्थी उक्त मकान का अवार्ड किस आधार पर बढवाना चाहता है कोई दस्तावेज सबूत पेश नही किया है ओर ना ही नोटिस जारी होने के 21 दिन की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्ति पेश किये जाने से संबंधित कोई सबूत पेश किया गया है। ऐसी स्थिति मे बेबुनियाद तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल अभिलेख की जावे। निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:57:21 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Scanned with OKEN Scanner